(128)

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय [illegible] (म०प्र०)

PBR/निगरानी/शाजापुर/भू-रा/2017/2378

प्र. क्र.

बद्रीलाल पिता लक्ष्मणसिंह जाति कुम्हार आयु 50 वर्ष धंधा खेती निवासी ग्राम फूलेन तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर (म०प्र०)

------ निगरानीकर्ता

बनाम

हुसैन खाँ पिता छोटे खाँ जाति मुसलमान निवासी ग्राम अकोदिया मण्डी कृषक ग्राम फूलेन तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर

------ विपक्षी

श्री वीरेन्द्र सिंह सिसोदिया अभि. द्वारा प्रस्तुत पठन हेतु
21-7-17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 एवं 129 म०प्र० भू० रा० संहिता

महोदय ,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार सादर पेश है :-

(1) यह कि विपक्षी हुसैन खाँ ने सीमांकन हेतु आवेदन तहसील न्यायालय को दिया जिस पर से मौजा पटवारी ने ग्राम फूलेन स्थित कृषि भूमि सर्वे नं० 911/3 912/2, 914/2, का सीमांकन कराया है। सीमांकन मे पडौसी कृषको को कोई सूचना नही दी गई जबकि निगरानीकर्ता का भूमि सर्वे नंबर 913/2, 914/1, 915 व 916 भूमि सर्वे नंबर की भूमि प्रार्थी बद्रीलाल की है किन्तु पडौसी कृषको को सूचना दिये बिना हुसैन खाँ ने अपनी जमीन का सीमांकन करवा कर निगरानीकर्ता को अतिक्रामक बताया है जिससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी अवधि मे प्रस्तुत है।

17-8-17

/ निगरानी के आधार /

(1) यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किया जाने योग्य है।

(2) यह कि पडौसी कृषक निगरानीकर्ता को सूचना दिये बिना कराया गया सीमांकन अवैध होकर शून्यवत है।

(3) यह कि सीमांकन के समय कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही बताया व कोई पिलर/बॉक तैयार नही की गई और घर बैठे ही मन मर्जी से सीमांकन दस्तावेज

XIX(a)-BR(H)-11

(15)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2017/2378

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एच.सी. जैन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २४.४.१९ को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। (हस्ताक्षर) **प्रशासकीय सदस्य**	